न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00275RAAJu2019-117RTA223 Sajani Vs Bagataram

1. सजनी पत्नी स्व. बरीगाराम विश्नोई
2. मोहनराम पुत्र स्व. बरीगाराम विश्नोई
3. बगडूराम पुत्र स्व. बरीगाराम विश्नोई
4. रामीया पुत्र धोकराम विश्नोई
   निवासीगण गांव डाबडी, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब ना म

1. म विश्नोई
2. सुखाराम पुत्र धूडाराम विश्नोई
   निवासीगण गांव लाखेटा, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
3. श्रीमती रुकमा पत्नी भागचन्द विश्नोई
4. बाबुलाल पुत्र नारायणराम विश्नोई
5. पपुराम पुत्र नारायणराम विश्नोई
   निवासीगण गांव डाबडी, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
6. तहसीलदार एवं सब-रजिस्ट्रार ओसिया।

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 14 अगस्त 2019 राजस्व वाद संख्या 48/2019 बगताराम व अन्य बनाम सजनी इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया एवं श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्तागण-रेस्पो. सं. 1 व 2
रेस्पो. संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित
श्री दूदाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 26 फर., 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2019 बगताराम व अन्य

बनाम सजनी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अगस्त 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 अक्तूबर 2019 को पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर ग्राम डाबडी के खसरा संख्या 253 रकबा 22 बीघा वक्त सेटलमेण्ट से वादीगण एवं प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार के दादा मोती पुत्र माला की खातेदारी एवं कब्जाशुदा होना तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 238 रकबा 115 बीघा 05 बिस्वा में मोती पुत्र माला का ½ हिस्सा तथा ½ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या एक से सात के पूर्वजों का होना जाहिर किया और यह भी बताया कि मोती के दो जाईन्दा पुत्र धोकलाराम व धुडाराम थे, जिनका देहान्त मोती के जीवनकाल में ही हो गया था, वादीगण उस समय नाबालिग थे, जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक से चार के पूर्वज बडे थे व कर्ता-खानदान और परिवार के मुख्या थे, इस कारण वादग्रस्त आराजियात उनके नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादीगण ग्राम लाखेटा की भूमि में से कुछ भूमि का बेचान भी कर चुके है। बंदोबस्त के कुछ समय बाद बालिग होने पर वादीगण ग्राम मतोडा में आकर अपनी बपौती की भूमि में रहने लग गये और काश्त ग्राम डाबडी व मतोडा दोनों जगह आज तक करते आ रहे है। प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने बाबत वाद पेश किये जाने के करीब 5 साल पूर्व जानकारी होने पर प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो आरम्भ में उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा, किन्तु अन्ततः दिनांक 01 जनवरी 2008 को साफ इंकार कर दिया गया। तब आलौच्य दावा पेश किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुों को दोहराते हुए कथन किया कि--

1. वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त भूमि मोती के नाम खातेदारी में जरूर आयी थी, किन्तु वक्त सेटलमेण्ट अपीलाण्ट्स के पूर्वज धोकलराम जीवित नहीं थे और धोकलराम के लडके छोटे थे, इसी कारण से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मोती के नाम दर्ज हो गयी, जबकि मौके पर कब्जा-काश्त एवं उपयोग-उपभोग अपीलाण्ट के परिवार का ही था, वादीगण-रेस्पो. का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा-काश्त ही नहीं रहा है।
2. मोती के दो पुत्र धोकलराम व धुडाराम अवश्य थे, इनमें से धोकलराम प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का सगा दादा था, और धुडाराम वादीगण-रेस्पो. का पिता था, धुडाराम का देहान्त 1988 में हुआ था, इस कारण वादीगण-रेस्पो. का यह तर्क बिलकुल झूठा है कि धुडाराम का देहान्त मोती के जीवनकाल में ही हो गया था। धोकलराम जागीरी-काल में ही ग्राम डाबडी में आकर निवास करने लग गया था और ग्राम डाबडी वाली भूमि जागीरदार से अपनी निजी आय से खरीद कर लिये थे, जिसमें रहवासीय ढाणी बना कर सपरिवार निवास करने लगा। सेटलमेण्ट के पूर्व ही धोकलराम का देहान्त हो जाने के कारण व उसके बच्चे छोटे होने के कारण उनकी देखभाल के लिए मोती स्वयं गांव डाबडी आकर रहने लगे, वक्त सेटलमेण्ट धोकलराम जीवित नहीं होने तथा धोकलराम के बच्चे नाबालिग होने से ग्राम डाबडी की भूमि मोती के नाम दर्ज हो गयी और संवत 2017 में मोती का देहान्त होने के बाद उक्त भूमि का म्युटेशन धोकलराम के तीनों पुत्रों बरसींगा, धीमा व रामीया के नाम भरा जाकर राजस्व रिकार्ड में तदनुसार उक्त भूमि इन तीनों के नाम दर्ज की गयी।
3. मोती का देहान्त होने के बाद ग्राम डाबडी की भूमि का उक्त म्युटेशन धोकलराम के तीनों पुत्रों के नाम भरे जाने के समय धोकलराम जीवित था और उस समय ग्राम मतोडा की भूमि बाबत म्युटेशन उसने स्वयं के नाम स्वीकृत करवाया। ऐसी स्थिति में यदि डाबडी की भूमि बाबत यदि वह अपना कोई हक

समझता अथवा उसका हक होता तो निश्चय ही वह ग्राम डाबडी की भूमि बाबत म्युटेशन में अपना नाम भी दर्ज करवा सकता था, क्योंकि उस समय वह मोती के परिवार का सबसे बडा सदस्य था।

4. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. द्वारा वाद के साथ जमाबंदी सवंत 2061-2064 ग्राम डाबडी खाता संख्या 173 व 174 पेश की, जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 253 की भूमि से संबंधित प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के नाम संयुक्त रिकार्डेड खातेदार के तौर पर दर्ज है, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 के नाम संयुक्त रिकार्डेड खातेदार के तौर पर दर्ज नहीं है और उक्त जमाबंदी में खाता संख्या 174 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 238 की भूमि से संबंधित प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक के नाम संयुक्त रिकार्डेड खातेदार के तौर पर दर्ज है। इस प्रकार साबित है कि वादग्रस्त आराजियात के दोनों खसरान के अलग-अलग रिकार्डेड खातेदारान है। ऐसी स्थिति में अलग-अलग खसरा नम्बरान की अलग-अलग सहखातेदारान के नाम भूमि होते हुए भी प्रस्तुत किया गया एक ही संयुक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं था। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 उद्धरित कर जाहिर किया कि एक से अधिक जोतो के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है, बशर्ते कि पक्षकारान वे ही हो। अपने इस तर्क के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2002 आरआरडी 153 (पैरा 11), 1968 आरआरडी 453 (खण्डपीठ पेरा 9व10) की ओर आकर्षित किया और साथ ही धारा 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के हवाले से यह भी कथन किया कि यदि पक्षकार वे ही हो तो कई जोतों के बारे में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के उपबंधो के अधीन एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।

5. अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की है, जबकि नियमानुसार प्राथमिक डिक्री के निर्णय में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, मात्र संबंधित वाद के फाइनल डिक्री के निर्णय में ही स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश जारी किया सकता है।

6. वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो अथवा उनके पूर्वज का नाम वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 2033 व वर्तमान तक दर्ज नहीं है, जबकि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का आरम्भ से आदिनांक तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है और राजस्व अभिलेख में नाम भी दर्ज होता रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को एडवर्स पजेशन के आधार भी खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 1996 आरआरडी 96 (पेरा 7 व 8) उद्धरित कर कथन किया कि संवत 2031 से 2033 की खसरा गिरदावरी में वास्तविक काश्त करने वाले का कब्जा दर्ज होता रहा है, और जिसके नाम कब्जा दर्ज है, उसे रिकार्डेड खातेदार मानना विधिवत है। 1992 आरआरडी 124 हेडनोट-ए (खण्ड) के संदर्भ से अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि संयुक्त हिस्सेदार के खिलाफ अन्य संयुक्त-हिस्सेदार को एडवर्स पजेशन का अधिकार है। 2006-07 (सप्ली.) आरआरटी 95 राज.उच्च न्यायालय (पेरा 7), 2007(2) आरआरटी 1245 (खण्डपीठ) और 2019(2) आरआरटी 1354 सर्वोच्च न्यायालय (वृहदपीठ) की नजीरें उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत पुरजोर बहस की।

7. पुनः न्यायालय का ध्यान जमाबंदी संवत 2061 से 2064 ग्राम डाबडी खाता संख्या 174 की ओर आकर्षित कर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि खसरा संख्या 238 से संबंधित संयुक्त खातेदारान में से एक नारायणराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जबकि नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के दावे में ऐसे संयुक्त खातेदार को पक्षकार बनाये जाने का आज्ञापक प्रावधान है अन्यथा उक्त वाद मेन्टेनेबल ही नहीं रहता है। अपने इस तर्क के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(4) के प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा साथ ही 2019(1) आरआरटी 768 (खण्डपीठ), 2011(2) आरआरटी 1129 (खण्डपीठ) और 2009 आरआरडी 836 (खण्डपीठ) की ओर आकर्षित किया।

8. 1989 आरआरडी 525 हेडनोट बी, ए.आई.आर. 1995 सर्वोच्च न्यायालय 719 हेडनोट बी तथा 2009 आरआरडी 787 हेडनोट ए (राजस्थान उच्च न्यायालय) उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपील स्तर पर जो आक्षेप लिये गये है, उनमें से अधिकांश कानूनी बिन्दु है और कानूनी बिन्दु किसी भी स्तर पर उठाये जा सकते है।

अन्त में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्राम डाबडी के खसरा संख्या 253 रकबा 22 बीघा वक्त सेटलमेण्ट से वादीगण एवं प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार के दादा मोती पुत्र माला की खातेदारी एवं कब्जाशुदा होना तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 238 रकबा 115 बीघा 05 बिस्वा में मोती पुत्र माला का ½ हिस्सा तथा ½ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या एक से सात के पूर्वजों का होना जाहिर किया और यह भी बताया कि मोती के दो जाईन्दा पुत्र थोकलाराम व थुडाराम थे, जिनका देहान्त मोती के जीवनकाल में ही हो गया था, वादीगण उस समय

नाबालिग थे, जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक से चार के पूर्वज बडे थे व कर्ता-खानदान और परिवार के मुखिया थे, इस कारण वादग्रस्त आराजियात उनके नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादीगण ग्राम लाखेटा की भूमि में से कुछ भूमि का बेचान भी कर चुके है। बंदोबस्त के कुछ समय बाद बालिग होने पर वादीगण ग्राम मतोडा में आकर अपनी बपौती की भूमि में रहने लग गये और काश्त ग्राम डाबडी व मतोडा दोनों जगह आज तक करते आ रहे है। प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने बाबत वाद पेश किये जाने के करीब 5 साल पूर्व जानकारी होने पर प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो आरम्भ में उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा, किन्तु अन्ततः दिनांक 01 जनवरी 2008 को साफ इंकार कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश करना पडा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से पेश गवाहान ने अपने बयानों में अपनी जिरह में मोतीराम के दो बेटों के नाम धोकला व धूडा होना स्वीकार किया है और वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो के वाद की ताईद की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य-सबूत का तनकीवाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादपत्र के पेज संख्या दो पर वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से पेश सजरा खानदान दोनों पक्षों की ओर से स्वीकृत है और इससे किसी भी पक्षकार ने इंकार नहीं किया है। वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से दावा आराजी खसरा संख्या 253 रकबा 22 बीघा वाके मौजा डाबडी तथा खसरा संख्या 238 रकबा 115 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा डाबडी के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श-एक नामान्तरकरण संख्या 22 एवं प्रदर्श-तीन नामान्तरण संख्या संख्या 21 के आधार पर वादग्रस्त आराजियात वादीगण-रेस्पो. के दादा मोतीराम की खातेदारी की होना माना है, और मोतीराम के देहान्त के बाद उक्त फौतेदगी म्युटेशन भरे जाने के समय मोतीराम के दो पुत्रों धोकलराम व धूडाराम में से धूडाराम का नाम छोड दिया जाना पाया है। जिससे अदालत हाजा सहमत है। अदालत हाजा अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है और बिना किसी सक्षम आदेश के मात्र म्युटेशन की कायवाही के जरिये निराधार तौर पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकारों में कमी-बेशी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-पक्ष की ओर से पेश मौखिक साक्ष्य से भी उनका पक्ष बखूबी साबित होना पाया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक **आया वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 253 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा एवं खसरा संख्या 238 रकबा 115 बीघा 05 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा वादीगण अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है?** का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में करने में कोई त्रुटि नहीं की है। फलतः इस तनकी संख्या एक का निर्णय यथावत वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो के पक्ष में यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या एक के निर्णय का निस्तारण करते हुए वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का हक-हिस्सा घोषित कर दिया गया। अतः तनकी संख्या दो **आया वादीगण उक्त हक-हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन मीद्स एण्ड बाउण्ड से करवाने का अधिकारी है?** का निस्तारण बहक वादीगण एवं बरखिलाफ प्रतिवादी करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि या अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः तनकी संख्या दो बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या एक व दो के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या तीन **आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?** स्वतः ही वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो के पक्ष में निर्णित हो जाती है।

तनकी संख्या चार **आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक नही होकर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के बाप दादा की स्वार्जित भूमि है जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है?** का निस्तारण तनकी संख्या एक के परिप्रेक्ष्य में बहक वादीगण-रेस्पो. एवं बरखिलाफ प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही एवं न्यायोचित किया जाना पाया जाता है।

तनकी संख्या पॉच **आया वादीगण बगताराम व सुखाराम जो थुडाराम की मृत्यु के वक्त नाबालिग थे तथा थुडाराम की मृत्यु मोती के जीवनकाल में ही हो गई थी?** को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण पर था, किन्तु अपने इस दायित्व के निर्वहन करने बाबत वादीगण-रेस्पो. की ओर से समुचित साक्ष्य-सबूत के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ किया गया है। जिससे अदालत हाजा सहमत है।

अपील स्तर पर अपीलाण्ड्स की ओर से मात्र तकनीकी बिन्दुओं पर तर्क-वितर्क किया जाता रहा है, किन्तु ऐसा कोई ठोस आधारभूत तथ्य अथवा बिन्दु मामले में अभिलेखों पर आधारित अथवा अपीलाधीन निर्णय में रही किसी मूलभूत त्रुटि बाबत इंगित नहीं किया गया है जिसके आधार पर बिना किसी संशय के अपीलाण्ड्स का पक्ष साबित होता हो। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श-2 जमाबंदी (खतौनी) ग्राम लाखेटा संवत 2061-2064 खाता संख्या 64 के अनुसार खसरा संख्या 883 रकबा 36 बीघा **बगताराम सुखाराम पिसरान थुडाराम** 1/2, **सजनी बेवा बरींगा मोहनराम बगडूराम पिसरान बरीगाराम रामीया पिसरान थोकला** 1/2 **जाति** विश्नोई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श-4 के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम लाखेटा स्थित आराजी खसरा संख्या 251, 261, 262, 264, 268, 275, 277, 282, 306, 309, 357, 362, 486, 538, 542 एवं 981 कुल किता 16 रकबा 581 बीघा 13 बिस्वा मंगला पुत्र सुण्डा 1/3, **थुडा पुत्र मोती व नरींगा, धीमा, रामीरा पिसरान थोकल** 1/3, सुरजन, चिमा पिसरान हीरा 1/3 कौम विश्नोई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। **इससे अपीलाण्ड्स का अपील में किया गया यह अभिकथन स्वतः ही**

असत्य सिद्ध हो जाता है कि धोकलराम जागीरी-काल में ही ग्राम डाबडी में आकर निवास करने लग गया था और ग्राम डाबडी वाली भूमि जागीरदार से अपनी निजी आय से खरीद कर ली थे। जब ग्राम लाखेटा में मोती की खातेदारी आराजियात में धोकल व उसके वंशज का मोती के दूसरे पुत्र धूडा व उसके वंशजों के साथ पुश्तैनी आधार पर हक-हिस्सा दर्ज है तो फिर है कि ग्राम डाबडी स्थित वादग्रस्त आराजियात, जो कि पूर्व में मोती की खातेदारी की होना प्रदर्शः एक व तीन से भलीभांति सिद्ध है, मोती के दोनों पुत्रो, धोकल व धूडा का समान अधिकार स्वतः सिद्ध होकर निहित है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अगस्त 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/2020

(नखतदान बारहठ) विकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. सजनी पत्नी स्व. बरीगाराम विश्नोई 2. मोहनराम पुत्र स्व. बरीगाराम विश्नोई 3. बगडूराम पुत्र स्व. बरीगाराम विश्नोई 4. रामीया पुत्र थोकराम विश्नोई निवासीगण गांव डाबडी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर	ब ना म	1. बगताराम पुत्र थूडाराम विश्नोई 2. सुखाराम पुत्र थूडाराम विश्नोई निवासीगण गांव लाखेटा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 3. श्रीमती रुकमा पत्नी भागचन्द विश्नोई 4. बाबुलाल पुत्र नारायणराम विश्नोई 5. पपुराम पुत्र नारायणराम विश्नोई निवासीगण गांव डाबडी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 6. तहसीलदार एवं सब-रजिस्ट्रार ओसिया।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 14 अगस्त 2019 राजस्व वाद संख्या 48/2019 बगताराम व अन्य बनाम सजनी इत्यादि

-----0 -----

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 26 फरवरी 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री जयदेवसिंह चारण मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री लाधूराम पूनिया व श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्तागण एवं श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अगस्त 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---/-----) रूपये ---/--------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का -----/---- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 26 फरवरी 2020 को जारी किया गया।

26/2/2020

(नखतदान बारहठ) RAS

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. हजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील	/
मीजान		मीजान	

(नखतदान बारहठ) RAS

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर